निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
60/2020	14.10.2020	05.8.2021

1.बनीसिंह पुत्र कजोडया जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर।

——वादी

बनाम

1सुमरत पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर।
2.धर्मसिहं (मृतक) पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर।
2/1.दयासिहं पुत्र स्व0 धर्मसिहं जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर।
3.पप्पू पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर।
4.रतनसिहं पुत्र कजोडया जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर।
5.लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर।
6.शाखा प्रबंधक सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा गंगापुर सिटी।

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट वादी की और से
श्री हर्षवर्धन शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
श्री प्रकाश चंद शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से

निर्णय

वादी द्वारा वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नं0 77 रकवा 0.26 हैक्टर,1040 रकवा 0.19 हैक्टर, 2628 रकवा 0.86 हैक्टर, वाके ग्राम श्यारौली तहसील वजीरपुर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के संयुक्त कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि हैं खातेदार राजपाल पुत्र कजोडया फौत हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 है। यह कि उपरोक्त भूमि को वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 संयुक्त रूप से काश्त कर उसकी फसल से हिस्से अनुसार लगातार लाभांवित होते चले आ रहे है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 1लगायत 3 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा है। पिछले कुछ समय से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की नियत में खोट पैदा हो गया तथा लोगों से कहने लगे कि अब हम वादी को इस भूमि को काश्त नही करने देगें तथा ना ही इसकी काई फसल में वादी को उसका हिस्सा 1/3 देगें। इस बात की जब वादी को जानकारी हुई तो वादी को काफी आश्चर्य हुआ। यह कि जब दिनांक 15.6.2013 को अपने हिस्से की भूमि की देखरेख करने के लिए अपने खेतों पर पहुचां तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 वहां पहले से ही मौजूद मिल तथा वादी को प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने धमकी दी कि अव हम इस भूमि को तुम्हें शामलाती काश्त नही करने देगें। अगर तुम्हें भूमि काश्त करनी है तो तुम तुम्हारे हिस्से की भूमि का खाता अलग करवा कर अपने हिस्से की भूमि काश्त कर सकते हो, जब तक भूमि शामलाती है हम तुम्हे काश्त नही करने देगें इसलिए भूमि का मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन किया जाकर वादी का हिस्से

1/3 को खाता पृथक किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उसके हिस्से 1/3 के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें। ना ही भूमि को रहन वय करें। यह कि वादकारण दिनांक 15.6.2013 को प्रतिवादीगण 1 ता 4 द्वारा भूमि काश्त नही करने देने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। यह कि दावा अन्दर मियाद है तथा श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में हैं, लेण्डहोल्डर आवश्यक पक्षकार मुकदमा है।यह कि प्रतिवादी नं0 6 के यहां भूमि प्रतिवादी नं0 4 द्वारा रहन रखी हुई है इसलिए वह आवश्यक पक्षकार मुकदमा है। यह कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि आराजी खसरा नं0 77 रकवा 0.26 हैक्टर,1040 रकवा 0.19 हैक्टर, 2628 रकवा 0.86 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 1.31 हैक्टर वाके ग्राम श्यारौली का मीट्स एवं बाउन्डस के आधार पर विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से 1/3 का खाता पृथक किया जावे। लगान सरकार पृथक से कायम किया जावे। आवश्यकता हो तो पृथक से खसरा नम्बर कायम किये जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उसके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में न तो स्वयं बाधा उत्पन्न करें ना ही किसी अन्य से करावें तथा भूमि को बिना विभाजन रहन वय नही करें। यह कि अन्य दादरसी जो न्यायालय उचित समझे वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2069–72 खाता संख्या 759 ग्राम श्यारौली ,व नक्शा ट्रेस पेश किये हैं।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 की और से श्री हर्षवर्धन शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया तथा श्री प्रकाश चंद शर्मा एडवोकेट ने प्रतिवादी संख्या 4 की और से जवाब दावा पेश किया ।अन्य प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही आये उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम मे अकित किया है कि भूमि खसरा नं0 77,1040,2628 स्थित ग्राम श्यारौली से वादी बनीसिहं एवं प्रतिवादी संख्या 4 रतनसिहं का कोई कब्जा या सबंध नही है। यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के कब्जे काश्त व खातेदारी की है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी हाल में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा व नाम गलत दर्ज है यह सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है। यह कि ग्राम श्यारोली मे भूमि खसरा नम्बर 1040 रकवा 0.19 हैं0, खसरा नं0 2628 रकवा 0.86 हैं0 कुल रकवा 1.31 हैक्टर स्थित है जो मूल रूप से राजपाल के पिता कजोडी को अलोट हुई थी उनकी मृत्यू के पश्चात् राजपाल की माता गिर्राजी के नाम दर्ज हो गई । गिर्राजी ने दिनांक 8.11.89 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत नामा उक्त भूमि को अपने पुत्र राजपाल के हक में वसीयत कर वसीयत नामा सबरजिस्ट्रार गंगापुर सिटी के यहां पंजीयन करा दिया। वसीयत नामें में यह लिखा कि उक्त भूमि की में पूर्णतया एक मात्र मालिक हूं व इसको मैं व मेरे लडके राजपाल के हक में वसीयत करना चाहती हूं। वसीयत नामें में यह भी लिखा कि मेरे अन्य दो लडके बनेसिहं (बनी) व रतन के पास काश्त की जमीन हैं एवं मेरे उक्त बडे लडके के पास काश्त के लिए किसी प्रकार की कोई भूमि नही है इसलिए में स्वस्थ्य इन्द्रिय व स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी दवाब व बहकावे के पूर्ण होश हवाश की दशा में मेरे लडके राजपाल को वसीयत करती हुं । मेरी मृत्यू के बाद यह आराजी मेरे लडके राजपाल को के कब्जे में चली जावेगी एवं वही उसका काबिज स्वामी रहेगा,किसी अन्य व्यक्ति

का इस बाबत कोई उज नही होगा। गिर्राजी ने यह भी लिखाया कि मेरे दोनो लडके बनेसिहं व रतन की इस वसीयत नामें में पूर्ण सहमति है। इस वसीयत नामें पर रतन ने साक्षी व सहमति के हस्ताक्षर किये व वसीयत नामा नियमानुसार दिनांक 8.11.89 को उपपंजीयन अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा जिल्द संख्या 6 के पृष्ठ संख्या 779 से 780 पर दर्ज है। गिर्राजी की मृत्यु के पश्चात् पटवारी हल्का ने नामान्तकरण वसीयत नामा व कब्जे के आधार पर राजपाल के हक में दिनाक 16.5.2000 को खोला व नामान्तकरण भरकर तस्दीक के वास्ते पेश हो एसा, ऐसा नोट दर्ज किया । तत्पश्चात् ग्राम पंचायत श्यारोली के सरपंच श्रीमति रामेश्वरी ने पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार नामान्तकरण राजपाल के हक में स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर कर दिये व सरपंच की मोहर लगा दी परन्तु इसके पश्चात् बनी व रतन ने आपस में मिलकर पटवारी से दूसरी गलत रिपोर्ट लिखाई कि भूमि उत्तराधिकार से प्राप्त है व प्रार्थीया के तीन पुत्र है। नायब तहसीलदार वजीरपुर ने सरपंच के हस्ताक्षर व मोहर को लाईन खीचंकर काट दिया, जिसका कि उन्हे कोई अधिकार नही था। नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण राजपाल,बनी व रतन के नाम तस्दीक कर हिस्सा बराबर 1/3–1/3 दर्ज दिया तथा रजिस्टर्ड वसीयत नामे को नही माना जिसका उन्हे कोई कानूनी हक व अधिकार नही था। नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व राजपाल को नही सुना गया जो राजपाल के विरूद्ध कानूनन शून्य व प्रभावहीन है। मूल रूप से साविक खसरा नम्बर 31 व 1291 कुल 6 बीघा भूमि राजपाल के पिता व गिर्राजी के पति कजोडी को अलोट हुई थी जिसका नामानतकरण संख्या 345 दिनांक 30.8.66 को स्वीकार हुआ जिसके ख0न0 77 रकवा 0.26 हैं0 व 2628रकवा 0.86 है0,76 रकवा 0.61 है0 बने जिसमें से कजोडी अपने जीवन काल में पारिवारिक बंटवारा पर राजपाल को खसरा नं0 1040 रकवा 0.19 है0,खसरा नं0 77 में से 0.26 है0 कुल 0.45 हैक्टर भूमि दी,रतन को खसरा नं0 76 रकवा 0.61 है0,व 1025 रकवा 0.25 हैक्टर, व बनीसिहं को खसरा नं0 76 रकवा 0.61 हैं0 भूमि दी परन्तु बनीसिहं ने दो विवाह के बदले भूमि रतन को दे दी क्यों कि रतन का विवाह नही हुआ था। गिर्राजी को भूमि 2628 रकवा 0.86 हैं0 ता जिन्दगी के लिए दी गई व करीब 2 बीघा उन्य भूमि रतन को दी गई तथा एक एक टूक मोड मे जो बनी के बट का था को भी रतन को दिया गया तथा करीब साढे चार बीघा भूमि पूठ में कजोडी व गिर्राजी को दी गई जिसके उनके बाद तीन बट किये जावेगें। उक्त समझोता रामसहाय गुप्ता ने लिखा जिस पर कजोडी,राजपाल,बनेसिहं व रतन के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 11.7.1988 को बनेसिहं ने अपना खसरा नं0 2628 रकवा 0.86 हैक्टर का 1/3 भाग राजपाल को 2500/–रूपये में बेचकर कब्जा करा दिया जिसकी लिखावट 1/– रूप्ये के स्टाम्प पर घनश्याम शर्मा डीडराईटर द्वारा निष्पादन की गई।रतन ने अपने हिस्से की भूमि खसरा नं0 1025 को दिनांक 19.9.89 को हरदेश पत्नि प्रहलाद को बेचकर वयनामा रजिस्टर्ड करा दिया व खसरा नं0 76 रमेश को बेचकर रजिस्ट्री करवा दी कजोडी की मृत्यु के पश्चात् भूमि का नामान्तकरण 15.5.89 को गिर्राजी के नाम स्वीकार हो गया । रतन ने खसरा नं0 2628 रकवा 0.86 हैक्टर में अपना हिस्सा राजपाल को वसीयत नामे से पूर्व 2500/–रूपये में बिना लिखावट के बेच दिया। इसके बाद इस केस के वादी बनीसिहं व प्रतिवादी सं0 4 ने रतन ने इस केस के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता राजपाल के विरूद्ध न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी में एक दावा बाबत् घोषणा,स्थाई निषेधाज्ञा बनीसिहं बनाम् राजपाल दावा संख्या 77/2000 नया नम्बर 8/2008 पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता द्वारा एक दावा 193/2000 नया नम्बर 309/2008 उनवानी राजपाल बनाम बनी पेश

किया जिसमे दिनांक 8.3.2009 को राजीनामा हो गया जिसमें वनी ने स्वीकार किया कि भूमि ख0न0 77,1040,2628 ग्राम श्यारौली कजोडी की अलोट शुदा भूमि है जो गिर्राजी के नाम आ गई है जिसका एक वसीयतनामा गिर्राजी द्वारा राजपाल के पक्ष में दिनांक 8.11.89 के किया गया था अर्थात वादी राजीनामा दिनांक 8.3.2009 से पावन्द है तथा दावा करने का अधिकारी नही है। प्रतिवादी 1 लगायत 3 वादग्रस्त भूमि के काबिज खातेदार हे तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हें क़ाउन्टर क्लेम जवाबदारान डिकी फरमाया जावे ।काउन्टर क्लेम प्रस्तुत होने के उपरान्त दिनांक 20.3.2017 को वादी की और से प्रार्थना पत्र 08 नियम 6 (सी) सी.पी. सी. पेश किया गया तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादी का अपवर्जन करने का निवेदन किया गया जिस पर जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने के उपरान्त बहस उभयपक्ष सुनी जाकर काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 16.10.2019 के निर्णय द्वारा निरस्त कर जवाब दावे से अपवर्जित कर दिया अर्थात काउन्टर क्लेम निरस्त कर दिया गया जिसके उपरान्त पत्रावली वास्ते कायमी तनकी के लिए नियत कर दी गई तथा पत्रावली उपजिला कलेक्टर वजीरपुर को न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी से ट्रांसफर होकर प्राप्त हुई जिसमे उभयपक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण ने स्वय उपस्थित होकर विवादित भूमि का विभाजन मीट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा के खाते पृथक–पृथक दर्ज करने हेतु सहमति जाहिर करने का प्रार्थना पत्र 4.2.2021 व दिनांक 18.2.2021 को पेश किये।

पक्षकारान को सुना गया पक्षकारान् भूमि का विभाजन रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर करने पर सहमत है इसलिए रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रस्तुत दावे में दिनांक 04.2.2021 को प्राथमिक डिकी जारी कर तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम चाही गई जो दिनांक 03.6.2021 को प्राप्त हो चुकी है जिसके अनुसार भूमि खसरा नंम्बर 77 रकवा 0.09 हैक्टर, 1040 रकवा 0. 06 हैक्टर,2628 रकवा 0.2850 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 0.4350 हैक्टर भूमि वादी बनीसिहं पुत्र कजोडया जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर की खातेदारी में रहेगी । भूमि खसरा नम्बर 77/2 रकवा 0.09 हैक्टर, 1040/2 रकवा 0. 07 हैक्टर, 2628/2 रकवा 0.28 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 0.44 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 सुमरत पुत्र राजपाल, प्रतिवादी संख्या 2/1 दयाराम पुत्र स्व0 धर्मसिहं, प्रतिवादी संख्या 3 पप्पू पुत्र राजपाल, व लज्जा पुत्री राजपाल जातियान जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर तथा भूमि खसरा नम्बर 77/1 रकवा 0.08 हैक्टर,1040/1 रकवा 0.06 हैक्टर, 2628/1 रकवा 0.2950 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 0.4350 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 4 रतनसिहं पुत्र कजोडया जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर की खातेदारी में रहेगी ।

विभाजन स्कीम प्राप्त होने पर दोनो पक्षों को सुना गया। दोना पक्ष विभाजन स्कीम से सहमत है तथा विभाजन अनुसार दावा डिकी करने में दोनों पक्षों ने अपनी सहमति जाहिर की है, इसलिए विभाजन स्कीम अनुसार दावा वादी डिकी किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन स्कीम इस आशय का डिक्री किया जाता है कि :—

1. भूमि खसरा नंम्बर 77 रकवा 0.09 हैक्टर, 1040 रकवा 0.06 हैक्टर,2628 रकवा 0.2850 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 0.4350 हैक्टर भूमि वादी बनीसिहं पुत्र कजोडया जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर की खातेदारी में रहेगी 2. भूमि खसरा नम्बर 77/2 रकवा 0.09 हैक्टर, 1040/2 रकवा 0.07 हैक्टर, 2628/2 रकवा 0.28 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 0.44 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 सुमरत पुत्र राजपाल, प्रतिवादी संख्या 2/1 दयाराम पुत्र स्व0 धर्मसिहं, प्रतिवादी संख्या 3 पप्पू पुत्र राजपाल, व लज्जा पुत्री राजपाल जातियान जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर की खातेदारी में रहेगी।

3. भूमि खसरा नम्बर 77/1 रकवा 0.08 हैक्टर,1040/1 रकवा 0.06 हैक्टर,2628/1 रकवा 0.2950 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 0.4350 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 4 रतनसिहं पुत्र कजोडया जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर की खातेदारी में रहेगी । इसी अनुसार पक्षकारान के खाते पृथक–पृथक दर्ज किये जावें। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी) **Judi/Civil**
(Civil Proceede Code, Appendix D-1) **Part IV-10**

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1.बनीसिंह पुत्र कजोडया जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर।

——वादी

बनाम

1सुमरत पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर।
2.धर्मसिहं (मृतक) पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर।
2/1.दयासिहं पुत्र स्व0 धर्मसिहं जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर।
3.पप्पू पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर।
4.रतनसिहं पुत्र कजोडया जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर।
5.लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर।
6.शाखा प्रबंधक सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा गंगापुर सिटी।

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट वादी की और से
श्री हर्षवर्धन शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 की और से
श्री प्रकाश चंद शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से

मुकदमा नं. – ६०/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीस कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई व श्री हर्षवर्धन शर्मा एडवोकेट व श्री प्रकाश चंद शर्मा एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है दावा वादी मुताबिक विभाजन स्कीम इस आशय का डिक्री किया जाता है कि :–

1. भूमि खसरा नंम्बर 77 रकवा 0.09 हैक्टर, 1040 रकवा 0.06 हैक्टर,2628 रकवा 0.2850 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 0.4350 हैक्टर भूमि वादी बनीसिहं पुत्र कजोडया जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर की खातेदारी में रहेगी।
2. भूमि खसरा नम्बर 77/2 रकवा 0.09 हैक्टर, 1040/2 रकवा 0.07 हैक्टर, 2628/2 रकवा 0.28 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 0.44 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 सुमरत पुत्र राजपाल, प्रतिवादी संख्या 2/1 दयाराम पुत्र स्व0 धर्मसिहं, प्रतिवादी संख्या 3 पप्पू पुत्र राजपाल, व लज्जा पुत्री राजपाल जातियान जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर की खातेदारी में रहेगी।
3. भूमि खसरा नम्बर 77/1 रकवा 0.08 हैक्टर,1040/1 रकवा 0.06 हैक्टर,2628/1 रकवा 0.2950 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 0.4350 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 4 रतनसिहं पुत्र कजोडया जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर की खातेदारी में रहेगी । इसी अनुसार पक्षकारान के खाते पृथक–पृथक दर्ज किये जावें। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक ०५.८.2021 को जारी किया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बावत इजराय			बावत इजराय हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

([illegible]न्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
वजीरपुर